न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 संख्या :–153 / 2026
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–212 / 2024

1. सुमित कुमार उर्फ गुगल **उम्र 22 वर्ष** **पे0.– योगेन्द्र पोद्दार**
सा0–सुखासन, **थाना– सिंहेश्वर** **जिला मधेपुरा**
–आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार **–** **विपक्षी**

जमानत आदेश

24–04–2026

दिनांक–01.11.2025 से काराधीन अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ गुगल का जमानत आवेदन जो सिंहेश्वर थाना काण्ड सं0–212 / 2024 अन्तर्गत धारा–341, 504, 506, 384, 324, 307, 34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है तथा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डा0, मधेपुरा के न्यायालय द्वारा आवेदक का जमानत आवेदन दि0–21.01.26 को खारिज करने के पश्चात् आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अम्बस्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

Satish Kumar 24.04.26

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा ऐसी कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियोजन का कथाकथित वाद पूर्ण से बनावटी एवं झूठा है, किसी प्रकार जख्म नही पाया गया है तथा उक्त गोली का खोखा सूचक द्वारा ही पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है। तथाकथित घटना मे सूचक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही हैं तथा जिसके बयान मे विभेद पाया जाता है एवं यह स्पष्ट होता है कि सूचक के विरूद्ध मामले मे किसी प्रकार का अभियोग नही बनता है। आवेदक दिनांक– 01.11.25 से न्यायिक अभिरक्षा मे है जिसने स्वयं विचारण न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया गया है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देशो का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि दिनांक–23.06.24 को शाम करीब 6–7 बजे संध्या में सूचक के किराना दुकान भेलवा टोल मे सुमित कुमार उर्फ गुगल, अमित कुमार, योगेन्द्र पोद्दार, सुधीर पोद्दार दुकान पर आये और 50,000 / रूपया की रंगदारी मॉग करने लगे और नही देने पर गोली मारने की धमकी दिया। दिनांक– 24.06.24 को सुबह करीब 6–7 बजे दुकान पर गया जहॉ दुकान के अंदर सूचक की पत्नी पूजा कर रही थी

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 संख्या :–153/2026
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–212/2024
–2–

लगातार
24–04–26

–कि तभी घर पर बदमाश लोग आ गये तथा उपरोक्त नामित व्यक्तियों के द्वारा सूचक के पत्नी को गोली मार दिया और गोली मारने वाला व्यक्ति सुमित कुमार उर्फ गुगल था और सभी अभियुक्त मोटरसाइकिल से भाग गये। तब तक सूचक भी अपने घर पहूँचा तो देखा कि उसकी पत्नी को गोली मारा जो पेट के दाहिने ओर लगा तथा वह बेहोश थी।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, मूल कांड दैनिकी (जो सत्र वाद सं0–336/24 के साथ संलग्न है तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ के न्यायालय मे विचारण हेतु लंबित है) तथा निम्न–न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–341, 504, 506, 384, 324, 307/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध सूचक की पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर देने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा–06 मे जब्ती सूची अंकित है जिसमे गोली का एक खोखा व एक गोली का अग्र भाग घटनास्थल से बरामद होने की बात बताई गई है। कांड दैनिकी के पारा–02, 07, 38, 39, 40 एवं 41 मे वादी तथा साक्षियों का बयान है जिसमें घ टना का समर्थन किया है। पारा– 58 मे जख्मी का बयान है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि आवेदक ने पचास हजार रूपये की मांग को लेकर जख्मी को गोली मार दिया। कांड दैनिकी के पारा–64 मे जख्म रिपोर्ट अंकित है जिसमें जख्म की प्रकृति गंभीर (Grievous) बताया गया है। आवेदक के विरूद्ध गोली मारने का स्पष्ट व विशिष्ट अभियोग है। पूरक कांड दैनिकी के पारा–136 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कांड सत्य पाते हुए धारा–341, 504, 506, 384, 324, 307/34 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Jagish Kumar
24.04.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।